

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

कर्मक:—एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/रिफ्रेशर /2021/ 161

दिनांक :- 09.07.2021

आदेश

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत निम्न सह/सहायक आचार्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स करने हेतु एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

क.सं.	नाम (सह/सहायक आचार्य)श्री/सुश्री / डॉ०/श्रीमती	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	संस्थान जहां से कोर्स किया जाना है
1.	अमित मेहता	इतिहास	राजकीय . कला महाविद्यालय, सीकर	रिफ्रेशर	12.07.2021 से 26.07.21	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
2.	सुमित मेहता	इतिहास	राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर	रिफ्रेशर	12.07.2021 से 26.07.21	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
3.	रमेश कुमार	रसायन शास्त्र	राज० लोहिया महा०, चूरू	रिफ्रेशर	20.07.21 से 03.08.21	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
4.	रेनू नैनावत	ईएफएम	राज० वाणिज्य कन्या महा०, कोटा	रिफ्रेशर	20.07.21 से 03.08.21	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
5.	विनोद कुमार	रसायन शास्त्र	राज० लोहिया महा०, चूरू	रिफ्रेशर	20.07.21 से 03.08.21	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
6.	माया सिंह	अर्थशास्त्र	राज०पीजी महा०, बाडमेर	रिफ्रेशर	20.07.21 से 03.08.21	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
7.	राकेश वर्मा	राजनीति शास्त्र	राज० महा०, जैतारण, जिला पाली	रिफ्रेशर	03.08.21 से 16.08.21	एचआरडीसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
8.	कैलाश गहलोत	हिन्दी	राज० महा०, सिरोही	रिफ्रेशर	16.08.21 से 29.08.21	एचआरडीसी, गुजरात विश्व०, अहमदाबाद

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

कर्मक:—एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/रिफ्रेशर/2021/ 161

दिनांक : 09.07.2021

प्रतिलिपि :-

- सम्बन्धित प्राचार्य निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-
(अ) प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस.के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
(ब)संबन्धित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबन्धित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु ।

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)